10

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2013/फाल्गुन 17, 1934
No. 548] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2013/PHALGUNA 17, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2013

का.आ. 591(अ).—शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा बाद की अधिसूचनाओं यथा दिनांक 2 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या का0आ0 831 (घ); दिनाक 12 मई, 2004 का का0आ0 568 (घ) और दिनांक 19 अक्तूबर, 2007 का का0आ0 1864 (घ) के माध्यम से परिवर्तन शामिल करके विषयवस्तु में संशोधन के जरिये और आदेशों को व्यापक बनाने के लिए नए प्रावधान जोड़ते हुए गृह मंत्रालय के 12 सितम्बर, 1985 के का0आ0 667 (घ) भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है और यह निम्नानुसार पठित है:

"जबकि केन्द्र सरकार का विचार है कि यह जनहित के लिए आवश्यक और उचित है कि कुछ विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कुछ प्रावधानों के प्रचालन से छूट प्रदान की जाए;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कॉलम 3 में समकक्ष प्रविष्टि में उल्लिखित विवरण की श्रेणी के शस्त्र जब वे प्रशिक्षण या प्रतियोगिताओं में प्रयोग के प्रयोजन से अपने निजी प्रयोग के लिए रखे जाएं, के संबंध में संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा-1 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) और खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) के प्रावधानों के प्रचालनों से और उक्त अधिसूची के कॉलम 4 में समकक्ष प्रविष्टि में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करती है:-